

## सतलज-यमुना लकि (SYL) नहर पर वविाद

### प्रलिमिस् के लयि:

सधु जल संध, रावी और ब्यास, अनुच्छेद 143, सतलज नदी, यमुना नदी ।


### मेन्स के लयि:

सतलज यमुना लकि नहर, अंतरराज्यीय नदी जल से संबधति मुद्दों पर वविाद ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरयिाणा वधिानसभा द्वारा सतलज-यमुना लकि (Sutlej Yamuna Link- SYL) नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारति कयिा गया है ।

- इसके पूरा हो जाने के बाद यह नहर हरयिाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदयिों के पानी को साझा करने में सकषम होगी ।
- प्रस्तावति सतलज-यमुना लकि नहर 214 कलिोमीटर लंबी नहर है जो सतलज और यमुना नदयिों को जोड़ती है ।
- जल संसाधन राज्य सूची के अंतरगत आते हैं, जबकि संसद को संघ सूची के तहत अंतरराज्यीय नदयिों के संबध में कानून बनाने की शक्तिप्राप्त है ।



प्रमुख बदि

पृष्ठभूमि:

- **वर्ष 1960:** विवाद की उत्पत्ति भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संधि जल संधि में देखी जा सकती है, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज के पूरव में 'मुक्त और अप्रतिबंधित उपयोग' (Free And Unrestricted Use) की अनुमति दी गई थी।
- **वर्ष 1966:** पुराने (अवभाजति) पंजाब से नरिमति हरियाणा को नदी के पानी का हसिसा देने की समस्य़ा उभरकर सामने आई।
  - सतलज और उसकी सहायक ब्यास नदी के जल का हसिसा हरियाणा को देने के लयि सतलज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर (एसवाईएल नहर) की योजना बनाई गई थी।
  - पंजाब ने यह कहते हुए हरियाणा के साथ पानी साझा करने से इनकार कर दया कयिह रिपरियन सिद्धांत (Riparian Principle) के खिलाफ है जसिके अनुसार, नदी के पानी पर केवल उस राज्य और देश या राज्यों और देशों का अधिकार होता है जहाँ से नदी बहती है।
- **वर्ष 1981:** दोनों राज्य पानी के पुनः आवंटन हेतु परस्पर सहमत हुए।
- **वर्ष 1982:** पंजाब के कपूरी गाँव में 214 कलिमीटर लंबी सतलज-यमुना लकि नहर (SYL) का नरिमाण शुरू कया गया।
  - राज्य में आतंकवाद का माहौल बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाने के वरिध में आंदोलन, वरिध प्रदर्शन हुए तथा हत्याएँ की गईं।
- **वर्ष 1885:**
  - प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन अकाली दल के प्रमुख संत ने पानी का आकलन करने हेतु एक नए न्यायाधिकरण के लयि सहमति व्यक्त की।
  - पानी की उपलब्धता और बँटवारे के पुनर्मूल्यांकन हेतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी बालकृष्ण एराडी (V Balakrishna Eradi) की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी।
  - वर्ष 1987 में ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा को आवंटित पानी में क्रमशः 5 एमएएफ और 3.83 एमएएफ तक की वृद्धि की सफारिश की।
- **वर्ष 1996:** हरियाणा ने SYL का काम पूरा करने के लयि पंजाब को नरिदेश देने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का रुख कया।
- **वर्ष 2002 और वर्ष 2004:** सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब को अपने कषेत्र में SYL के काम को पूरा करने का नरिदेश दया।
- **वर्ष 2004:** पंजाब विधानसभा ने **पंजाब टर्मनिशन ऑफ एग्रीमेंट्स अधिनियम** पारित कया, इसके माध्यम से जल-साझाकरण समझौतों को समाप्त कर दया गया और इस तरह पंजाब में SYL का नरिमाण अधर में रह गया।
- **वर्ष 2016:** सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के अधिनियम की वैधता पर नरिणय लेने के लयि राष्ट्रपति के संदर्भ (**अनुच्छेद 143**) पर सुनवाई शुरू की और यह माना कि **पंजाब नदियों के जल को साझा करने के अपने वादे से पीछे हट गया है।** इस प्रकार **अधिनियम को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित** कर दया गया था।
- **वर्ष 2020:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को SYL नहर के मुद्दे पर उच्चतम राजनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता के माध्यम से बातचीत करने और मामले को नपिटाने का नरिदेश दया।
  - पंजाब ने जल की उपलब्धता के नए समयबद्ध आकलन हेतु एक न्यायाधिकरण की मांग की है।
    - पंजाब का मानना है कि आज तक राज्य में नदी जल का कोई अधिनरिणय या वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हुआ है।
    - **रावी-ब्यास जल की उपलब्धता भी 1981 के अनुमानित 17.17 MAF (मलियन एकड़ फुट) से घटकर 2013 में 13.38 MAF हो गई है।** एक नया न्यायाधिकरण इन सभी की जाँच सुनिश्चित करेगा।

## पंजाब और हरियाणा राज्यों के तर्क:

- **पंजाब:**
  - वर्ष 2029 के बाद पंजाब के कई कषेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सचाई के लयि राज्य पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है क्योंकि गेहूँ और धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है।
    - राज्य के लगभग 79% कषेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है।
- **हरियाणा:**
  - हरियाणा का तर्क है कि राज्य में सचाई के लयि जल उपलब्ध कराना कठिन है और हरियाणा के दक्षिणी हसिसों में पीने के पानी की समस्य़ा है जहाँ भूजल 1,700 फीट तक कम हो गया है।
  - हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल (Central Food Pool) में अपने योगदान का हवाला देता रहा है और तर्क दे रहा है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा कयि गए मूल्यांकन के अनुसार उसे पानी में उसके उचित हसिसे से वंचित कया जा रहा है।

## सतलज और यमुना नदी की मुख्य वशिषताएँ:

- **सतलज:**
  - सतलज नदी का प्राचीन नाम जरादरोस (प्राचीन यूनानी) शुतुद्री या शतदरु (संस्कृत) है।
  - यह संधि नदी की पाँच सहायक नदियों में सबसे लंबी है, जो पंजाब (जसिका अर्थ है "पाँच नदियों") को अपना नाम देती है।
    - झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, संधि की मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
  - इसका उद्गम दक्षिण-पश्चिमी तबिबत की 'लंगा झील' में हिमालय के उत्तरी ढलान पर होता है।
    - सर्वप्रथम यह हिमालय प्रदेश में प्रवेश करती है और फरि हिमालय की घाटियों के माध्यम से उत्तर-पश्चिमी की ओर तथा बाद में पश्चिमी-दक्षिण-पश्चिमी की ओर बहते हुए, यह नंगल के पास पंजाब के मैदान के माध्यम से प्रवाहित होती है।
    - एक वसित्त चैनल के माध्यम से दक्षिण-पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए यह ब्यास नदी में मलित्ती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत-पाकिस्तान सीमा पर 65 मील तक प्रवाहित होती है, इस प्रकार अंततः बहावलपुर के पश्चिमी में चिनाब नदी में शामिल होने के साथ 220 मील की दूरी तय करती है।
      - सतलज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले फरिज़पुर ज़िले के हरकिं में ब्यास नदी में मलित्ती है।


- संयुक्त नदियाँ तब पंजनाद बनाती हैं, जो पाँच नदियों और सधु के बीच की कड़ी है।
- **लुहरी चरण-I जल वदियत परियोजना** हिमाचल प्रदेश के शमिला और कुल्लू ज़िलों में सतलज नदी पर स्थित है।



#### ■ यमुना:

- **उद्गम:** यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊँचाई पर नमिन हिमालय की मसूरी रेंज से बंदरपूँछ चोटियों (Bandarpoonch Peaks) के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
- **बेसिन:** यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली होकर बहने के बाद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में संगम (जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है) में गंगा नदी से मिलती है।
- **लंबाई:** 1376 किलोमीटर।
- **महत्त्वपूर्ण बाँध:** लखवाड़-व्यासी बाँध (उत्तराखंड), ताज़ेवाला बैराज बाँध (हरियाणा) आदी।
- **महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ:** चंबल, सधु, **बेतवा और केन**।





आगे की राह

- न्यायाधिकरण के नरिणय पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय कषेत्राधिकार के साथ एक स्थायी न्यायाधिकरण स्थापति करके जल वविादों को हल या संतुलति कया जा सकता है ।
- कसिी भी संवैधानकि सरकार का तात्कालकि लक्ष्य [अनुच्छेद-262](#) में संशोधन (अंतर-राज्यीय नदयिों या नदी घाटयिों के जल से संबंघति वविादों का न्यायनरिणयन) और अंतर-राज्यीय जल वविाद अधनियिम में संशोधन एवं समान रूप से इसका कार्यान्वयन होना चाहयिे ।

## वगित वर्षों के प्रश्न:

**प्रश्न.** सधु नदी प्रणाली के संदर्भ में नमिनलखिति चार नदयिों में से तीन उनमें से एक में मलति है, जो अंततः सीधे सधु में मलति है । नमिनलखिति में से कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे सधु से मलति है?

- चनिाब
- झेलम
- रावी
- सतलज

**उत्तर: (d)**

- झेलम पाकस्तान में झांग के पास चनिाब में मलति है ।
- रावी सराय सदधु के नकिट चनिाब में मलि जाती है ।
- सतलज पाकस्तान में चनिाब में मलति है । इस प्रकार सतलज को रावी, चनिाब और झेलम नदयिों की सामूहकि जल नकिसी प्राप्त होती है । यह मथिनकोट से कुछ कलिमीटर ऊपर सधु नदी से मलति है ।

**प्रश्न. नमिनलखिति युगों पर वचिर कीजयिे: (2014)**

**आर्दरभूमि**

**नदयिों का संगम**

- हरकिे आर्दरभूमि : ब्यास और सतलज का संगम
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान : बनास और चंबल का संगम
- कोलेरू झील : मूसी और कृषणा का संगम

**उपर्युक्त युगों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?**

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

**उत्तर: (a)**

- हरकिे उत्तरी भारत की सबसे बड़ी मानव नरिमति आर्दरभूमि में से एक है । सतलज और ब्यास नदयिों के संगम के पास बेराज के नरिमाण के बाद वर्ष 1952 में यह अस्तित्व में आई ।
- वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे आर्दरभूमि का दर्जा दया गया था ।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर ज़िले में गंभीर और बाणगंगा नदयिों के संगम पर स्थति है ।
- कोलेरू झील कृषणा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थति है । कोलेरू दो ज़िलों में फैली है- कृषणा और पश्चिम गोदावरी ।

**स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस**